प्रपत्र–4

(देखे विनियम 6 का उपबन्ध 1 (ग) 2 (क) एवं 3(क))

राज्य सरकार की ओर से अनापत्ति प्रमाण–पत्र

उत्तर प्रदेश शासन

आयुष अनुभाग–1

संख्या–2369/71–आयुष–1–2014–130/2014 अनापत्ति पत्र

लखनऊ : दिनांक 20 जून, 2014.

सेवा में,

सचिव,

प्रेम रघु धर्मार्थ चिकित्सा सेवा समिति,

निकट एम0जी0 पॉलीटेक्निक कालेज आगरा रोड

हाथरस, उ0प्र0

विषयः प्रेम रघु आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पीटल, निकट एम0जी0 पॉलीटेक्निक कॉलेज, आगरा रोड, हाथरस उ0प्र0 को स्नातक स्तर पर (बी0ए0एम0एस0) पाठ्यकम प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र के संबंध में।

संदर्भ : सचिव, प्रेम रघु धर्मार्थ चिकित्सा सेवा समिति, निकट एम0जी0 पॉलीटेक्निक कॉलेज, आगरा रोड, हाथरस उ0प्र0 ।

महोदय,

निम्न तथ्यों के सम्बन्ध में वांछित "अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी किया जा रहा है:–

1. राज्य में विद्यमान चिकित्सा और आयुर्वेद संस्थानों की संख्या–08 राजकीय आयुर्वेदिक कालेज तथा निजी क्षेत्र में 08 आयुर्वेदिक कालेज।
2. उपलब्ध सीटों की संख्या अथवा प्रतिवर्ष उत्पन्न चिकित्सा आयुर्वेद चिकित्साभ्यासियों की संख्या–780 (स्नातक स्तर)
3. राज्य परिषद/भारतीय चिकित्सा पद्धति बोर्ड में पंजीकृत आयुर्वेद चिकित्साभ्यासियों की संख्या–59642
4. राज्य सरकार में सेवारत आयुर्वेद चिकित्साभ्यासियों की संख्या–लगभग 3474
5. राज्य, विशेष रूप से ग्रामीण/कठिन क्षेत्रों में आयुर्वेद अथवा सिद्ध अथवा यूनानी चिकित्सकों के रिक्त सरकारी पदों की संख्या–566
6. रोजगार कार्यालय में पंजीकृत आयुर्वेद चिकित्सकों की संख्या–सामान्यतः राज्य के रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक चिकित्सक रोजगार कार्यालय में पंजीकरण नहीं कराते हैं।
7. राज्य में आयुर्वेद चिकित्सकों एवं–जनसंख्या का अनुपात–1 : 3081
8. चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना/पाठ्यकम प्रारम्भ करने पर राज्य में योग्यता प्राप्त चिकित्सकों की जन शक्ति की कमी की समस्या किस प्रकार से हल होगी तथा राज्य में चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता में किस प्रकार से सुधार आयेगा–आयुर्वेदिक महाविद्यालय में स्नातक पाठ्यकम प्रारम्भ करने का उद्देश्य योग्य चिकित्सक बनाना है तथा परीक्षणोपरान्त व्याधियों (रोगो) को दूर कर मानव शक्ति को सुदृढ़ करना है।
9. छात्र जो राज्य के मूल निवासी नहीं है, पर राज्य सरकार द्वारा राज्य में प्रवेश पाने की प्रतिबद्धता अधिरोपित, यदि कोई है, का उल्लेख करें–राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों में स्नातक स्तर पर प्रवेश सी0पी0एम0टी0 से चयनोपरान्त महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण से होता है।
10. चिकित्सा महाविद्यालय खोलने/प्रवेश क्षमता बढ़ाने/नया अथवा उच्चतर पाठ्यकम प्रारम्भ करने के लिए पूर्ण औचित्य–योग्य चिकित्सक/शिक्षक तैयार करना।

....2/–

Scanned with CamScanner

11. प्राप्य आयुर्वेद चिकित्सक जनसंख्या अनुपात–निर्धारित नहीं है।

संचिव, प्रेम रघु धर्मार्थ चिकित्सा सेवा समिति, निकट एम0जी0 पॉलीटेक्निक कालेज आगरा रोड हाथरस, उ0प्र0 ने प्रेम रघु आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पीटल, निकट एम0जी0 पॉलीटेक्निक कॉलेज, आगरा रोड, हाथरस उ0प्र0 को स्थापित करने के लिए आवेदन किया है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात उ0प्र0 सरकार ने आवेदक को सी0सी0आई0एम0 के मानकानुसार अनुमन्य 60 सीटों के साथ आयुर्वेदिक महाविद्यालय स्थापित करने / बी0ए0एम0एस0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने का निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया कि संस्था को समयान्तर्गत सी0सी0आई0एम0 की सभी शर्तें एवं मानक पूर्ण करने होगें तथा यदि उन्हें आयुर्वेदिक महाविद्यालय खोलने हेतु मान्यता प्रदान हो जाती है, तो प्रस्तावित भूमि संस्था द्वारा महाविद्यालय के नाम हस्तान्तरित कर दी जायेगी तथा इस भूमि का उपयोग आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय तथा उससे सम्बन्धित कार्य ही किये जायेगें अन्य कोई कार्य–कलाप इस भूमि पर नहीं किये जायेगें।

यह प्रमाणित किया जाता है कि

(क) आवेदक के पास 60 शैय्याओं वाला अस्पताल है। जिसकी स्थापना वर्ष 2013 में हुई थी।

(ख) आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना / बी0ए0एम0एस0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना जनहित की वांछनीय है।

(ग) प्रेम रघु धर्मार्थ चिकित्सा समिति, आगरा रोड हाथरस उ0प्र0 द्वारा जनपद हाथरस में आयुर्वेदिक महाविद्यालय की स्थापना करना उचित है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित महाविद्यालय में भारतीय चिकित्सा परिषद के मानदण्डों के अनुसार पर्याप्त नैदानिक सामग्री है। आगे प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रार्थी आयुर्वेद महाविद्यालय के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के मानदण्डों के अनुसार अवसंरचना उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है और केन्द्र सरकार द्वारा आगे प्रवेश रोक दिया जाता है, तो राज्य सरकार केन्द्र सरकार की अनुमति से महाविद्यालय में पहले से प्रविष्ट छात्रों की पूरी जिम्मेदारी लेगी।

भवदीय,

(सुभाष चन्द्र राय)
विशेष सचिव।

संख्या–2369 (1)/71–आयुष–1–2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, सी0सी0आई0एम0, जनकपुरी, नई दिल्ली।
2– सचिव, आयुष विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3– महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
4– कुल सचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानुपर।
5– निदेशक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
6– निदेशक, आयुर्वेद (पाठ्यकम एवं मूल्यांकन) उ0प्र0, लखनऊ।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

Scanned with CamScanner